राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3224/2024

कुंदन सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, पर्यावरण एवं जयवायु परिवर्तन, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. उप वन संरक्षक, कोटा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.10.2024
आदेश की दिनांक : 03.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन कर संशोधित अपील मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वनपाल के पद पर कार्यालय उपवन संरक्षक आबूरोड़, सिरोही में हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज मंडाना उपवन संरक्षक कोटा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलंबित कर उसका मुख्यालय कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अजमेर किया गया। अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने का यह आधार लिया है कि दिनांक 23.05.2024 को दैनिक नवज्योति में छपी खबर "वन विभाग के इशारे पर प्लांटेशन में ही काट दी प्लांनिग" के संबंध में तथ्यात्मक प्रतिवेदन तैयार किया गया और उसके आधार पर अपीलार्थी सहित अन्य कर्मचारियों को नोटिस जारी किये गये लेकिन विभाग द्वारा केवल अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। आदेश दिनांक 14.10.2024 को जांच अधिकारी संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने अपीलार्थी को अपना स्पष्टीकरण पेश करने हेतु उन्हें लिखा जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 14.10.2024 को ही जांच अधिकारी से दस्तावेजों की मांग की जिससे जवाब प्रस्तुत किया जा सके।

पुनः दिनांक 18.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र मुख्य वन संरक्षक, कोटा को भिजवाया। जांच अधिकारी ने दिनांक 21.10.2024 को पुनः जवाब प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.10.2024 को कार्यालय में बुलाया (अनुलग्नक–2 से 5)। संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 24–10–2024 को कार्यालय में बुलाया और उससे पूर्व ही अपीलार्थी को निलम्बित कर दिया गया जो कि एक प्रकार से प्रिम्चौर निलम्बन है। इस संबंध में ऐसे मामले में ही माननीय उच्च न्यायालय ने निलम्बन को प्रिम्चौर माना है (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी को चुनौती आदेश दिनांक 21.10.2024 के द्वारा संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 5979 दिनांक 20.10.2024 की अनुशंषा के आधार पर निलम्बित किया गया है। कार्मिक विभाग का परिपत्र दिनांक 10.01.2001 (अनुलग्नक–7) जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जो अधिकारी निलम्बन आदेश जारी कर रहा है वह स्वयं पूर्णरूप से इस बात से संतुष्ट होना होगा कि उसने संबंधित प्रकरण की परिस्थितियों एवं तथ्यों का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण कर लिया है और व्यक्तिगत रूप से इस बात से संतुष्ट है कि उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के संबंध में निलम्बन आदेश जारी किया जाना औचित्यपूर्ण है। वर्तमान मामले में अनुशंषा प्राप्त होने पर निलम्बन आदेश पारित किया गया है। ऐसा ही मत माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6490/2023 रमेश चद मीणा बनाम राजस्व विभाग में स्थगन जारी करते हुए दिया है (अनुलग्नक–8)। माननीय अधिकरण ने भी अपील संख्या 2006/2023 जगदीश कुमार सिंधी बनाम राजस्व विभाग में इसी आधार पर स्थगन आदेश जारी किया है (अनुलग्नक–9)। माननीय अधिकरण ने एक अन्य अपील संख्या 2491/2024 अनुराग यादव बनाम राजस्व विभाग के रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर अपील स्वीकार की है (अनुलग्नक–10)। अपीलार्थी को निलम्बित किये हुए 90 दिवस से अधिक समय व्यतीत हो चुका है और प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी को आज दिनांक तक कोई आरोप–पत्र नहीं दिया गया है जबकि निलम्बन के पश्चात 90 दिवस की अवधि में आरोप–पत्र दिया जाना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि किसी कर्मचारी को निलम्बन के पश्चात 90 दिवस की अवधि में आरोप–पत्र नहीं दिया जाता है तो ऐसे निलम्बन आदेश को आगे बनाये रखा जाना उचित नहीं है और उसे वापिस लिया जाना चाहिये।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.10.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का निलंबन आदेश दिनांक 21.10.2024 नियमानुसार किया गया है। जिसमें

किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.10.2024 द्वारा राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के प्रावधानों के नियम 13 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। आलौच्य निलम्बन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा युक्तियुक्त आधार पर अपने स्वविवेक का उपयोग कर जांच कार्यवाही को प्रभावित होने से बचाने के दृष्टिगत आलौच्य आदेश जारी किया गया है महज संभागीय मुख्य वन सरंक्षक कोटा की अभिशंषा पर आलौच्य आदेश जारी नहीं किया गया है जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही हेतु आरोप पत्र जारी करने का विषय है। निलम्बन से लगभग 4 माह से अधिक अवधि उपरांत भी अपीलार्थी को आरोप पत्र नहीं दिया गया है। जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य (2015) 7 एससीसी 291 में पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 जिसमें निलंबन से तीन माह की अवधि पूर्ण होने तक आरोप पत्र नहीं दिये जाने के संबंध में निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :–

> *"We, therefore, direct that the currency of a Suspension Order should not extend beyond three months if within this period the Memorandum of Charges/Chargesheet is not served on the delinquent officer/employee; if the Memorandum of Charges/Chargesheet is served a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the concerned person to any Department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence. We think this will adequately safeguard the universally recognized principle of human dignity and the right to a speedy trial and shall also preserve the interest of the Government in the prosecution. We recognize that previous Constitution Benches have been reluctant to quash proceedings on the grounds of delay, and to set time limits to their duration. However, the imposition*

of a limit on the period of suspension has not been discussed in prior case law, and would not be contrary to the interests of justice. Furthermore, the direction of the Central Vigilance Commission that pending a criminal investigation departmental proceedings are to be held in abeyance stands superseded in view of the stand adopted by us."

इस प्रकार उक्त न्यायिक प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार अपीलार्थी को नियत समयावधि में आरोप जारी किए बिना लम्बे समय तक निलंबित रखा जाना उक्त विधि के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी जहांगीर अली बनाम राजस्थान राज्य में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 21.10.2024 को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी को बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी का नियमानुसार पदस्थापन/स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है। यह स्पष्ट किया जाता है कि निलम्बन अवधि में देय वेतन भत्तों का भुगतान अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)